संख्या 149 /2017/1557/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800/(29)/2010

प्रेषक,

उमेश कुमार,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर,2017**

विषय- प्रदेश के कुल 14 जनपदों में ए0डी0आर0 सेन्टर के निर्माण हेतु मानक लागत के आधार पर धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र स0-1804/एसएलएसए-72/2013 दिनांक 18-08-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार प्रदेश के कुल 14 जनपदों मे ए0डी0आर0 सेन्टर के निर्माण हेतु मानक लागत प्रति ए0डी0आर0 सेन्टर रू097.25 लाख के आधार पर कुल रू01361.50 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ कुल **रू01361.50 लाख (रूपये तेरह करोड़ इकसठ लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0,को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु सदस्य सचिव उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ को अधिकृत किया जाता हैं ।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

[redacted] प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप नपद न्यायाधीश/निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

4- निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक बैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश दिनांक 22-12-2011 के माध्यम से मानक निर्धारित है। अत: निर्धारित मानक के अनुसार ही निर्माण कार्य कराया जायेगा । प्रायोना हेतु पुनरीक्षित आगणन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम मे न तो स्वीकृत है, और न वर्तमान में किसी अन्य योजना कार्यक्रम में अच्छादित है।

7- लागत आकंलन प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

10- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रायोजना में वर्क टू बी डन की लागत हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

12- स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त के रूप मे आहरित किया जायेगा। उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग करने पश्चात अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि आहरित की जायेगी।

13- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

14- निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

15- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

16- प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत के सम्बन्ध में व्यय वित्त समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन एवं शर्तो तथा प्रतिबन्धो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

17- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम

http://shasanadesh.up.nic.in

लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है। इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण - 11-जनपदों में ए0डी0आर0 सेन्टर की स्थापना - 00- 24- वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12-1384/दस-2017, दिनांक 15 दिसम्बर ,2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>सं0- 149 /2017/1557(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6- वित्त ई- 12 / सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(सन्त लाल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>शासनादेश संख्या 149 /2017/1557/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800/(29)/2010</u>

<u>दिनांक 26 दिसम्बर,2017 का संलग्नक</u>

(रूपये लाख में)

क्0	जनपद का नाम	मानक लागत	स्वीकृत धनराशि
1	इलाहाबाद	97.25	97.25
2	बिजनौर	97.25	97.25
3	चित्रकूट	97.25	97.25
4	लखीमपुर खीरी	97.25	97.25
5	गाजियाबाद	97.25	97.25
6	जालौन (उरई)	97.25	97.25
7	कानपुर नगर	97.25	97.25
8	फर्रूखाबाद	97.25	97.25
9	फतेहपुर	97.25	97.25
10	ललितपुर	97.25	97.25
11	मिर्जापुर	97.25	97.25
12	मेरठ	97.25	97.25
13	सीतापुर	97.25	97.25
14	प्रतापगढ़	97.25	97.25
	योग'-	**1361.50**	**1361.50**

http://shasanadesh.up.nic.in

(सन्त लाल)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।